12	13
Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering Promotion) consising of : 1. Chief Engineer/Chief Hydrogeologist Central Ground Water Board—Chairman 2. Director/Superintending Engineering Central Ground Water Board—Member. 3. An Officer of another Central Government Department not below the rank of Director/Superintending Engineer—Member. 4. Senior Administrative Officer, Central Gound Water Board.—Member. Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering confirmation) consisting of : 1. Chief Engineering/Chief Hydrogeologist Central Ground Water Board—Chairman 2. Director/Superintending Engineer, Central Ground Water Board—Member. 3. Senior Administrative Officer Central Ground Water Board—Member.	Not applicable.

[F. No. 23-45/85-G.W.]
ANUP MUKERJEE, Director.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (i) dated the 16th October, 1971 at pages 4244-4249 vide number GSR 1535 were subsequently amended by :

(1) GSR 626 dated the 22nd June, 1974.
(2) G.S.R. No. 1149 dated the 3rd Septembr, 1977.
(3) G.S.R. No. 799 dated the 9th August, 1981.
(4) GSR No 964 dated the 12th October 1985

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1989

सा० का० नि० 254.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (सहायक प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे (सहायक प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (सहायक प्रलेखीकरण अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 में

(क) नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा— अर्थात्

"व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।"

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:

1	2	3	4	5	6	7
सहायक प्रलेखीकरण अधिकारी	2* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनुसचिवीय	2000-60-2300—द० रो० 75—3200—100 3500 रुपए	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडेमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है (आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	नहीं

8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानत विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा। (3) किसी पुस्तकालय/प्रलेखीकरण केन्द्र में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण:— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों को दर्शान में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:—2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय:— (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अंग्रेजी से भिन्न किसी एक आधुनिक यूरोपिय भाषा में प्रमाण पत्र या समतुल्य।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं, किन्तु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए।	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11	12
(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नत द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अल्पकालीन संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसा पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी 1 जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है : प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) स्थानान्तरण:— केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार लोक उपक्रमों कानूनी या स्वायत्तशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं: या (2) जिन्होंने 1640-2900 रुपए वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है : या (3) जिन्होंने 1400-2300 रुपए वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है : और (ख) जिसके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तम्भ 8 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। (फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय, —सदस्य 3. मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे,—सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य टिप्पण:— पुष्टि के संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी, किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	सीधी भर्ती करते समय और प्रतियुनिक्ति संविदा पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं० 1/89 फाइल सं० 2/13/87-ई० II]

अवतार सिंह चौहान, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 1989

G.S.R. 254— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Pune (Assistant Documentation Officer) Recruitment Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune (Assistant Documentation Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Water and Power Reserch Station, Pune (Assistant Documentation Officer) Recruitment Rules, 1985.

(a) For rule 6 the following rule shall be substituted, namely :—
"Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

(b) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Assistant Documentation Officer.	2* (1989) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service : Group 'B' : Gazetted : Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection

6	7	8
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 yrs: in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : (i) Master's degree preferably in Science from a recognised University or equivalent. (ii) Degree or equivalent diploma in Library Science of a recognised University or Institute. (iii) 3 year experience in a Library/Documenttion Centre Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Mastre s degree in Library Science a recognised University or equivalent. (ii) Certificate course in any one of the Modern European Language other than English of a recognised University or Institute or equivalent.

(9)	(10)
Age : No. Educational qualifications :No but must possess at least Bachelor's degree and degree or equivalent diploma in Library Science from a recognised University or equivalent.	2 years for direct recruits only.

11	12
(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) (ii) 50% by transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion : Librarian Grade I with 3 years regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract)/transfer Officers under the Central Government/State Governments/Public undertakings/Statutory or Autonomous Organisation. (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation/ contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

13	14
Group 'B' DPC (for promotion/confirmation) : 1. Director Central Water and Power Research Station Pune—Chairman. 2. Joint Secretary Ministry of Water Resources—Member. 3. Chief Research Officer Central Water and Power Research — Pune—Member. 4. Chief Administrative Officer Central Water and Power Research. Station Pune—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Union Public Service Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee, to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation/contract.

[No. 1/89.F. No. 2/13/87-E.II]
A.S. CHAUHAN, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1989

सा. का. नि. 255.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विद्युत विभाग) भर्ती नियम, 1972 समाप्त करते हैं।

[सं. ए. 12018 (1)/86 – प्रशा. (दो)]
आर. पुरुषोत्तमन, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 20th March, 1989

G.S.R. 255.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby repeals the Ministry of Energy, Joint Secretary (Department of Power) Recruitment Rules, 1972.

[No. A. 12018(1)/86-Admn. II]
R. PURUSHOTHAMAN, Under Secy.

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1989

सा.का नि. 256.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1958 का और संशोधन करने के लि[illegible] निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राजस्थान कोयला खा[illegible] भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1989 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1958 में,—

(क) पैरा 6क के उप-पैरा (1) में खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
"(5) मार्च, 1989 के पश्चात्, उस तारीख से, जब [illegible] कोयला खान में नियोजित हुआ, 30 दिन से कम नहीं [illegible]

(ख) पैरा 40 के उपपैरा 3 में,—

(1) खंड (4) का लोप किया जाएगा।

(2) खंड (5) में "15 वर्ष या अधिक" अंक और शब्दों के स्था[illegible] पर "10 वर्ष या अधिक" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ग) पैरा 41 के खंड (3) के दूसरे परन्तुक में "दस ह[illegible] रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस हजार रुपए" [illegible] रखे जाएंगे।